राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.07.2014 से 31.03.2023

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-EDN(TE)A(1)3/2013 शिमला-2 दिनांक-17.01.2014 के द्वारा राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ की स्थापना की गई तथा इसका प्रथम अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिसूचित छात्र कल्याण निधि नियम, 2012 की धारा 4 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ में कार्यरत्त रहेः–

निदेशक / प्रधानाचार्य

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	प्रो0 राकेश सहगल	01.08.14 से 31.07.17
2	डा0 मोहित धीमान	05.08.17 से 21.08.17
3	डा0 सतीश कटवाल	22.08.17 से 31.08.17
4	डा0 मोहित धीमान	01.09.17 से 03.01.18
5	प्रो0 दिनेश प्रताप तिवारी	04.01.18 से 06.06.20
6	प्रो0 प्रेम प्रकाश शर्मा	08.06.20 से 31.12.22
7	प्रो0 दीपक कुमार	01.01.23 से 31.03.23

आहरण एवं संवितरण अधिकारी

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	प्रो0 राकेश सहगल	01.08.14 से 31.07.17
2	श्री राजिन्द्र कुमार (अनुभाग अधिकारी)	05.08.17 से 09.04.18
3	प्रो0 दिनेश प्रताप तिवारी	10.04.18 से 06.06.20
4	प्रो0 प्रेम प्रकाश शर्मा	08.06.20 से 31.12.22
5	प्रो0 दीपक कुमार	01.01.23 से 31.03.23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹ लाखों में)
1	5 (ख)	रोकड़ बही में कम जमा दर्शाने बारे	0.45
2	9	अग्रिम राशि का समायोजन न करने बारे	4.48
3	10	प्रवेश शुल्क निधि का अधिक भुगतान करने बारे	0.31
4	11	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का करने बारे	7.0
5	12	अनियमित व्यय करने बारे	10.30

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ के छात्र कल्याण निधि के अवधि 01.07.2014 से 31.03.2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए हैं, श्री केवल सिंह (सहायक नियन्त्रक) द्वारा दिनांक 26.02.2024 से 19.04.2024 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। लेखाओं की विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	07/14	01/15
2015—16	07/15	03/16
2016—17	07/16	05/16
2017—18	07/17	11/17
2018—19	07/18	09/18
2019—20	07/19	10/19
2020—21	03/21	03/21
2021—22	10/21	10/21
2022—23	09/22	05/22

यहाँ यह भी किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय के निदेशक एवं प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। अंकेक्षण की जिम्मेदारी केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अवधि 01.07.14 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹30000/– आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 23, दिनांक 08.04.24 द्वारा निदेशक, एवं प्राचार्य, राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवां द्वारा उपलब्ध करवाई गई महाविद्यालय की अंकेक्षण अवधि 01.07.17 से 31.03.23 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही:–

(क) Consolidated Financial Position as on 31.03.23 (परिशिष्ट–1)

Year	Opening Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2014-15	0	13044458.0	96202	13140660.00	2336000.00	10804660.0
2015-16	10804660.0	26015983.24	261857	37082500.24	7633250.00	29449250.24
2016-17	29449250.24	45277289.25	0	74726539.49	16109917.0	58616622.49
2017-18	58616622.49	60481479.05	0	119098101.54	24551463.27	94546638.27
2018-19	94546638.27	177905520.69	2418883	474871041.96	140358060.26	134512981.70
2019-20	134512981.70	59860326.45	2989468	197362776.15	36366968.32	160995807.83
2020-21	160995807.83	66742018.84	3385770	231123596.67	44152561.0	186971035.67
2021-22	186971035.67	113089455.53	1319087	301379578.20	85370064.0	216009514.20
2022-23	216009514.20	134857545.84	1649652	352516712.04	167053791.0	185462921.04

अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.3.23 को छात्र कल्याण निधि से सम्बन्धित बचत खातों तथा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि के अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया **(परिशिष्ट–1)**

(ख) बैंक खातों में जमा राशि (परिशिष्ट'–1)

क्र0सं0	बैंक खाता सं0	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	65196252575	SBI नगरोटा बगवाँ	2365999.36
2	21262122005693	PNB नगरोटा बगवाँ	278369.88
3	50100070032396	HDFC बैंक नगरोटा बगवाँ	22730000.80

4	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि **(परिशिष्ट–2)**		160164990.00
5	हस्तगत राशि		0.00
		कुल योग	**₹185539360.04**

(ख) बैंक समाधान विवरणी

दिनाँक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरण निम्न प्रकार से है	
Balance as per cash book as on 31.03.23	₹185462921.04
Add:	
Interest credited by HDFC Bank N/Bagwan on 31-03-2023 but not entered in cash book (which is entered in cash book on dated 01-04-2023)	₹76439.00
Balance as per Pass Book	₹185539360.04

5 छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बहियों में त्रुटियों बारे:–

(क) अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 के दौरान छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बहियों की पड़ताल उपरान्त निम्न त्रुटियाँ पाई गई जिनका शीघ्र तथ्यों सहित उचित समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1 छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही–Vol-II पृष्ठ संख्या 20, दिनांक 30.6.2017 को कुल योग ₹55115183.28 बनता था जबकि ₹55106616.46 दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹8566.82 (55115183.28 – ₹55106616.46) योग में कम लिए गये प्रतीत होते हैं।

2 छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही–Vol-II पृष्ठ संख्या 34, दिनांक 22.07.2017 को कुल योग ₹61189316.71 बनता था जबकि ₹61200379.71 दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹11063 (₹61189316.71 – ₹61200379.71) योग में अधिक लिए गये प्रतीत होते है।

3 छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही–Vol-II पृष्ठ संख्या 44 से 93 तक खाली छोड़ी गई है इस बारे भी स्थिति स्पष्ट करें।

4 छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही अवधि 09.02.2021 से 30.09.2022 तक पृष्ठ संख्या–10 दिनांक 24.03.2021 को कुल योग ₹187047615.67 बनता था जबकि ₹187046215.67 दर्शाया गया

है। इस प्रकार ₹1400 (₹187047615.67 – ₹187046215.67) योग में कम लिए गये प्रतीत होते हैं।

5 छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही– VOl-III पृष्ठ संख्या 01, दिनांक 01.08.2017 को कुल योग ₹78021374.79 बनता था जबकि ₹77599294.75 दर्शाया गया है इस प्रकार ₹422080.04 (₹78021374.79 – ₹77599294.75) योग में कम लिए गये प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20 दिनांक 05.03.24 द्वारा इस बारे संस्था को अवगत करवाया गया जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निदेशक कम प्रधानाचार्य के पत्र संख्या आरजीजीएस/एनजीबी/लेखा/2024–2172 दिनांक 10.04.2024 द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर क्रम संख्या 1 से 4 का उचित प्रतीत नहीं होता है जबकि क्रम संख्या 05 अन्तर ₹422080.04 को ठीक कर दिया गया जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर दी गई है। अतः क्रम संख्या 1 से 4 पर उठाई आपत्तियों पर भी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) रोकड़ बही में ₹0.45 लाख कम दर्शाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 के दौरान छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बहियों की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि :–

1 छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही –Vol-I पृष्ट संख्या 105, दिनांक 19.07.2016 रसीद संख्या 826–837, दिनांक 19.07.21 का कुल योग ₹359640/– बनता था जबकि ₹344640/– दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹15000/– (₹359640 – ₹344640) योग में कम लिए गये व बैंक में कम जमा किये गये प्रतीत होते हैं।

2 रोकड़ बही–Vol-II पृष्ठ संख्या 34, दिनांक 27.7.2017 को रसीद संख्या 1174–1200, दिनांक 27.07.17 का कुल योग ₹737940 बनता था जबकि ₹707940 दर्शाया गया है इस प्रकार ₹30000 (₹737940 – ₹707940) योग में कम लिए गये व बैंक में कम जमा किये गये प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अयिाचना संख्या 22 दिनांक 19.03.24 द्वारा इस बारे संस्था को अवगत करवाया गया जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निदेशक कम प्रधानाचार्य के पत्र संख्या आरजीजीएस/एनजीबी/लेखा/2024–2173 दिनांक 10.04.2024 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर क्रम संख्या 1 व 2 पर कम जमा की गई ₹45000 (₹15000 + ₹30000) को रसीद संख्या 2236 दिनांक 10.04.2024 द्वारा जमा कर दिया गया है जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर दी गई है।

(ग) निधियों एक ही रोकड़ बही में लेखांकन करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या EDN (TE) A(3)-2/2004 दिनांक 11.09.2017 द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के छात्र कल्याण निधि नियम प्रति पादित किये गये है। राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ की अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 की रोकड़ बहियों के अभिलेख की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि संस्था ने छात्र कल्याण निधि व अन्यों निधियों का दिन प्रतिदिन के रिकॉर्ड का अनुरक्षण एक ही रोकड़ बही में किया जा रहा था जबकि छात्र कल्याण निधि नियम–4 (a) के अनुसार निधि बार दिन प्रतिदिन के लेन देनों का रिकॉर्ड अलग–अलग रोकड़ बही में किया जाना अपेक्षित था। जिससे अंकेक्षण को आय व व्यय के माह वार विवरण को तैयार करने में असुविधा होने के साथ–2 समय की भी बर्बादी हुई। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19 दिनांक 28.02.24 द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया जिसकी अनुपालना में राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ की अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 के दौरान छात्र कल्याण निधि निदेशक कम प्रधानाचार्य के पत्र संख्या आरजीजीएस/एनजीबी/लेखा/2024–निल दिनांक 28.02.2024 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर की छात्र कल्याण निधि के नियम संख्या 4 (a) के अनुसार शीर्ष A से D तक विभिन्न निधियों से प्राप्त शुल्क का एक ही रोकड़ बही में लेंखांकन किया गया है व अलग–अलग रोकड़ बही तैयार नहीं की गई है उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः छात्र कल्याण निधि के नियम संख्या 4 (a) के अनुसार रोकड़ बहियों का लेंखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 निवेशः–

राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ की अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 के दौरान संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक कुल ₹160164990 सावधि जमा योजना में निवेशित थी, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

7 छात्र कल्याण निधि की शुल्क वसूली का मांग व संग्रह रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारेः–

राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ की अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 के दौरान छात्र कल्याण निधि की शुल्क वसूली के मांग व संग्रह रजिस्टर व अन्य अभिलेख अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे छात्र कल्याण निधि से प्राप्त शुल्क की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21 दिनांक 05.03.24 द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया जिसकी अनुपालना में निदेशक कम प्रधानाचार्य के पत्र

संख्या आरजीजीएस/एनजीबी/लेखा/2024–2171 दिनांक 10.04.2024 द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर कि छात्र कल्याण निधि का मांग व संग्रह रजिस्टर व अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया गय है उचित प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में संस्था ने वर्ष 2021–22 व 2022–23 का ही मांग व संग्रह रजिस्टर व अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था अन्य अवधि 07/2014 से 03/2021 तक मांग व संग्रह रजिस्टर का लेखांकन ही नहीं किया गया था। अतः उक्त अवधि का माँग व संग्रह रजिस्टर को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 छात्र कल्याण निधि की टयूशन शुल्क पर अर्जित ब्याज को सरकारी खजाने में जमा न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 के दौरान छात्र कल्याण निधि की चयनित माह की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि संस्था ने वाउचर संख्या 18/22 दिनांक 25.05.2022 द्वारा निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग सुन्दर नगर के पत्र संख्या STV(TE)HG(1)/2018-REGGEC-Kangra-31319 दिनांक 29.04.2022 द्वारा दिए गये निर्देशानुसार अवधि 07/2014 से 03/2017 तक प्राप्त टयूशन शुल्क ₹31800000 को चालान संख्या B22E128037 दिनांक 24.05.2022 द्वारा सरकारी खजाने जमा किया गया था परन्तु इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज को अपने स्तर पर गणना करके भी जमा किये जाने के निर्देश थे जबकि अंकेक्षण की समाप्ति तक इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज की न तो गणना की गई प्रतीत होती है और न ही ब्याज जमा किये जाने बारे कोई अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया जोकि अनियमितता है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24 दिनांक 09.04.24 द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए व उक्त अवधि के ब्याज की अपने स्तर पर गणना करके सरकारी खजाने में जमा किया जाना जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 छात्र कल्याण निधि से अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान की गई अग्रिम ₹4.48 लाख का समायोजन न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 के दौरान छात्र कल्याण निधि की चयनित माह की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि संस्था में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम ₹448007/– का भुगतान किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अग्रिम राशियों के समायोजन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रिम राशियों का विवरण निमन प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0 / दिनांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम व पता	रो0बही पृ0सं0	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम राशि जारी की गई	अग्रिम राशि (₹)
1	35 / 14–1 9.1.15	विजय कुमार (क्लर्क)	23	स्टेशनरी क्रय	9500
2	35 / 14–2 9.1.15	दलीप सिंह (WTA)	23	स्टेशनरी क्रय	40000
3	80 / 15 9.1.15	डा0 मोहित धीमान	86	AICTE चण्डीगढ़ हेतु यात्रा	10000
4	84 / 15 15.03.16	तलविंदर सिंह (कम्पयूटर लेक्चरर)	88	काला अम्ब में यूथ फेस्टिवल	23500
5	88 / 1523–3–16	संजीव कुमार (वरिष्ठ सहायक)	89	AICTE टीम हेतु	6000
6	12 / 16 7.5.16	नरेश कुमार (ड्राईवर)	93	Pol हेतु	6500
7	19 / 16 23.5.16	हर्ष कुमार (सहायक प्रोफेसर)	96	—	15000
8	17.11.17	भगवान दास		बिजली बिलों हेतु	79507
9	57 / 17 27.11.17	तलविंदर सिंह (लेक्चरर)	36	परीक्षा संचालन	60000
10	56 / 18 15.9.18	I.I.T. मण्डी	33	रन नीति / 2018	88000
11	59 / 18 17.9.18	हरीश निराला (सहायक प्रोफेसर)	34	स्पोटर्स प्रतिस्पर्धा	101000
12	13 / 19 23.4.19	अभिषेक ठाकुर (सहायक प्रोफेसर)		—	9000
				कुल योग	**₹448007**

उपरोक्त अग्रिम ₹448007/– के समायोजन से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 प्रवेश शुल्क रिफंड करने पर ₹0.31 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर द्वारा जारी सूचि पत्र वर्ष 2014—15 व 2015—16 के नियम 14 के अनुसार यदि किसी छात्र को केन्द्रीय कौसिंल द्वारा सीट आबंटित की जाती है व अन्तिम राउंड से पहले छात्र आबंटित सीट लेने से इन्कार करता है व इस बारे प्रवेश समिति के अध्यक्ष को मौखिक या लिखित में सूचित करता है तो छात्र से एकत्रित की गई सम्पूर्ण शुल्क राशि में से ₹1000 प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती करके शुल्क राशि रिफंड की जानी अपेक्षित थी परन्तु राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ की अवधि 07/2014 से 08/2015 की रोकड़ बही की पड़ताल उपरान्त निम्न विवरणानुसार छात्रों से ₹1000 प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती न करके निम्न विवरणानुसार ₹31000 छात्रों को अधिक भुगतान किया गया जोकि अनुचित प्रतीत होता है।

क्र0सं0	दिनांक/रो0बही पृ0सं0	छात्रों का विवरण	वसूल की गई शुल्क राशि (₹)	रिफंड की गई शुल्क राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई शुल्क राशि (₹)
1	28.7.14/03	अनिल कुमार पुत्र दीप कुमार	31700	31700	1000
2	28.7.14/03	मोहित धीमान पूत सरूप सिंह	31700	31700	1000
3	28.7.14/03	अवनीत ठाकुर पुत्र सवरूप कुमार	31700	31700	1000
4	28.7.14/03	शुभम पुत्र नन्द लाल	31700	31700	1000
5	28.7.14/03	रोहित कुमार पुत्र सोहन लाल	31700	31700	1000
6	28.7.14/03	राजेश सूद पुत्र विनोद सूद	31700	31700	1000
7	28.7.14/03	तेजस्वी अवस्थी पुत्र सुनील कुमार	31700	31700	1000
8	28.7.14/03	अक्षित शर्मा पुत्र रणजीत सिंह	31700	31700	1000

9	28.7.14 / 03	राहुल शर्मा पुत्र विजय शर्मा	31700	31700	1000
10	28.7.14 / 03	रजत पुत्र जीवन कुमार	31700	31700	1000
11	02.08.14 / 5	अवितेश पुत्र रमेश चन्द	31700	31700	1000
12	04.08.14 / 5	अंकित शर्मा पुत्र सुनील कुमार	31700	31700	1000
13	05.8.14 / 6	कुलविंदर ठाकुर पुत्र जय राम ठाकुर	31700	31700	1000
14	05.08.14 / 6	साहिल शर्मा पुत्र वीरेंदर	31700	31700	1000
15	14.8.14 / 7	नमन कपूर	31700	31700	1000
16	14.8.14 / 7	नेहा पुत्री राज कुमार	16700	16700	1000
17	16.8.14 / 7	मोहित राज पुत्र हीरा पाल	31700	31700	1000
18	16.8.14 / 7	भावना देवी पुत्री घनश्याम शर्मा	16700	16700	1000
19	29.8.14 / 9	केवल कान्त पुत्र अनिरूद्ध	31700	31700	1000
20	29.8.14 / 9	अक्षत शर्मा पुत्र नरेश दत्त	31700	31700	1000
21	24.7.15 / 46	निखिल शर्मा पुत्र देश राज	31220	31220	1000
22	25.7.15 / 46	अंकुश शर्मा	31220	31220	1000
23	25.7.15 / 46	मिलंद ठाकुर पुत्री संदीप ठाकुर	16220	16220	1000
24	27.7.15 / 46	उदय सिंह पुत्र रमेश कुमार	31220	31220	1000
25	28.7.15 / 48	राजदीप मेहता पुत्र कशी राम	31220	31220	1000
26	28.7.15 / 48	नीतिक धीमान पुत्र मदन धीमान	31220	31220	1000

27	03.08.15/51	हितेश कुमार पुत्र रूप लाल	31220	31220	1000
28	07.8.15/53	रजत गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता	31220	31220	1000
29	10.8.15/54	मनीष कुमार पुत्र मनोहर लाल	31220	31220	1000
30	15.8.15/57	पारूल विधार्वान पुत्री सुरिन्दर	16220	16220	1000
31	15.8.15/57	वर्षा ठाकुर पुत्री जगमेर सिंह	16220	16220	1000
		कुल योग	**₹902420**	**₹902420**	**₹31000**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 22 दिनांक 19.03.24 द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया जिसका संस्था द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है कि पूर्ण मामले की अपने स्तर पर पड़ताल करके अधिक भुगतान की गई ₹31000/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ₹7.0 लाख का स्टोर/स्टॉक का क्रय करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 97–98 के अनुसार ₹2500 से लेकर अधिकतम ₹100000 तक एक वर्ष के लिए क्रय कर सकते हैं। राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ की अवधि 07/2014 से 3/2023 के चयनित मासों के व्यय वाउचरों की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि संस्था द्वारा छात्र कल्याण निधि से निम्न विवरणानुसार ₹700408/– का क्रय किया गया है, परन्तु क्रय से सम्बन्धित औपचारिकतायें अर्थात निविदायें, मूल्य अनुबन्ध सूची, आदेश आपूर्ति, पूर्ण किये बिना ही इतनी अधिक राशि का क्रय किया गया है, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26, दिनांक 09.04.2024 द्वारा संस्था के प्राचार्य को स्थिति स्पष्ट करने बारे अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः इसका अतिशीघ्र स्पटीकरण/उत्तर दिया जाये व क्रय किये गये सामान को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार सभी

औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

निधि का नाम	वा0सं0/दिनांक	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम व पता	खरीदे गये सामान का विवरण	मात्रा/दर	राशि (₹)
छात्र कल्याण निधि	84/15/11.03.16	169/29.10.15	मैसर्ज अनंत स्पोर्टस पामलपुर	खेल का सामान	–	95200
–यथोपरि–	15/16/13.5.16	194/25.02.16	मै0 लक्ष्मी इन्दुत्रिएस लुधियाना	ग्राइंडर	––	310643
–यथोपरि–	15/16/13.5.16	172/9.3.16	मै0के0सी0 इंजीनियरिंग अम्बाला	प्लेन टेल	6@8600+ CST x 5.25%	54309
–यथोपरि–	58/17/28.11.17	35/शून्य	मै0वी0जे0 इंटरप्राईजिज मण्डी	प्रिंटर (एप्सन)	2@20350 + GST 28%	52096
–यथोपरि–	58/17–7/ 28.11.17	201/27.09.17	मै0वी0कॉम0 integrated solution दून पंजाब	Led monitor	21@7000+ gst28%	188160
					कुल योग	₹700408

12 अनियमित रूप से ₹10.30 लाख का व्यय करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या RDN (TE) A(3)-2/2004 दिनांक 23.04.2012 व 11.09.2017 के अनुसार निम्न विवरणानुसार संस्था द्वारा खरीद/बिलों पर ₹1029457 का भुगतान किया गया है, छात्र कल्याण निधि पर वैध प्रभार नहीं है व अनियमित प्रतीत होता है। अतः इस व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त इन व्ययों को नियमित करवाया जाए।

वा0सं0	बिल/दिनांक	फर्म का नाम/विभाग का नाम	राशि (₹)	विवरण
58/17	28.11.17	मै0वी0जे0 इंटरप्राइजेज मण्डी	52096	कार्यालय प्रयोग हेतु प्रिंटर क्रय
58/17–7	28.11.17	मै0 वी0कॉम0 intigrated solution दुण पंजाब	188160	कार्यालय प्रयोग हेतु LED Monitor क्रय
59	29.11.17	SDO HPSEB N/Bagwan	200466	बिजली बिल का भुगतान
01/19	973/2.4.19	मै0 त्रिपति इंजीनियर कारपोरेशन बिलासपुर	119560	वाटर कूलर क्रय
03/19	60/18.02.19	सिकरड विजन लोहारा रोड लुधियाना	16800	कार्यालय प्रयोग हेतु कुर्सी क्रय
04/19	शून्य/5.4.19	सहायक अभियन्ता दूरसंचार नगरोटा बगवाँ	1074	टेलीफोन बिल का भुगतान
5/19	06.04.19	SDO HPSEB N/Bagwan	283545	बिजली बिल का भुगतान
7/19	08.04.19	SDO HPSEB N/Bagwan	167756	बिजली बिल का भुगतान
		कुल योग	**₹1029457**	

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26, दिनांक 09.04.2024 द्वारा संस्था के प्राचार्य को स्थिति स्पष्ट करने बारे अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः इसका अतिशीघ्र स्पष्टीकरण/उत्तर दिया जाये व अनियमित रूप से क्रय किये गये सामान व भुगतान को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार सामान क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13 स्थाई व अस्थाई सामान के भण्डार रजिस्टरों का रख–रखाव न करना:–

संस्था के छात्र निधियों के भण्डार रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि निधियों से खरीदी गई स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति की सामग्री का अलग–अलग भण्डार रजिस्टर नहीं लगाया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009, के नियम (2) 138 के अनुसार स्थाई एवं अस्थाई भण्डार

रजिस्टर अलग–अलग तैयार करना अनिवार्य है। अतः तुरन्त प्रभाव से सभी निधियों के स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर अलग–अलग तैयार किये जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0प्र0 शिक्षा संहिता, 2012 अध्याय 2 के नियम 2.34 के अन्तर्गत संस्था द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था ने निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का समुचित रख–रखाव नहीं किया गया था एवं जो कुछ एक रजिस्टर बनाए भी गए थे वे स्पष्ट व सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	सन्दर्भित नियम
1	बिल कंट्रोल रजिस्टर	2.34 (iv)
2	रजिस्टर ऑफ एडवास एंड रिकवरीज	2.34 (vi)
3	इवेंटस रजिस्टर (स्पोर्टस, कल्चरल & को–करीकुलर एक्टिविटीज)	2.34 (vii)
4	ट्रेजरी चालान रजिस्टर	2.34 (viii)
5	टेलीफोन, बिजली व पानी बिल रजिस्टर	2.34 (x)
6	प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन रजिस्टर	2.34.3 (xvii)
7	स्कूल स्टेटिस्टिकस रजिस्टर (Enrollment)	2.34.3 (xviii)
8	जनरल स्टॉक रजिस्टर (Consumable articles)	2.34.3 (xix)
9	जनरल स्टॉक रजिस्टर (Non-consumable articles)	2.34.3 (xx)
10	निवेश रजिस्टर	

15 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 07/2014 से 03/2023 तक के दौरान जाँच उपरान्त पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से छात्र कल्याण निधियों के एकत्रीकरण हेतु जो रसीद बुकें प्रयोग की गई थी, से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह लगाना सम्भव नहीं था, कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुकें छपवाई गई, कितनी रसीद बुकें जारी की गई थी तथा कितनी शेष है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या–26 दिनांक 09.04.2024 द्वारा महाविद्यालय को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था द्वारा नहीं दिया गया। जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को भी परिलक्षित करता है। अतः इसका उत्तर शीघ्र दिया जाये । अतः रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 भण्डार का भौतिक सत्यापन न करनाः–

अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा क्रय किये गये सामान का भौतिक सत्यापना (फिजिकल वेरिफिकेशन) अंकेक्षण अवधि के दौरान नहीं करवाई गई जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान की व प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अनुपालना में स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करवा कर की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

18 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता हैं

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक
का0/प्रति हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
3879-3882 07 AUG 2024 दूरभाष 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi (11) 525/2024 खण्ड–I दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवांई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा जिला कांगड़ा हि0प्र0।
4. पंजीकृत — प्राचार्य, राजीव गाँधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक
का0/प्रति हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620881

OFFICE OF THE RAJIV GANDHI GOVT. ENGGINGEERING COLLEGE, NAGROTA BAGWAN

CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION W.E.F. 07/2014 TO 31/03/2023 OF SWF AND OTHER

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT	INTEREST	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
07/14 To 2015	0	13044458.00	96202	13140660.00	2336000.00	**10804660.00**
2015 To 2016	10804660.00	26015983.24	261857	37082500.24	7633250.00	**29449250.24**
2016 to 2017	29449250.24	45277289.25	0	74726539.49	16109917.00	**58616622.49**
2017 to 2018	58616622.49	60481479.05	0	119098101.54	24551463.27	**94546638.27**
2018 to 2019	94546638.27	177905520.69	2418883	274871041.96	140358060.26	**134512981.70**
2019 to 2020	134512981.70	59860326.45	2989468	197362776.15	36366968.32	**160995807.83**
2020 to 2021	160995807.83	66742018.84	3385770	231123596.67	44152561.00	**186971035.67**
2021 to 2022	186971035.67	113089455.53	1319087	301379578.20	85370064.00	**216009514.20**
2022 to 2023	216009514.20	134857545.84	1649652	352516712.04	167053791.00	**185462921.04**

OFFICE OF THE RAJIV GANDHI GOVT. ENGGINGEERING COLLEGE, NAGROTA BAGWAN

BANK BALANCE AS PER BANK STATEMENT

Sr. No.	Bank	Account No.	Balance	Remarks
1	SBI	65196252575	2365999.36	
2	PNB	21262122005693	278369.88	
3	HDFC	50100070032396	22730000.80	
4	FDR Amount (As Per annexure-II)		160164990.00	
5	Cash in Hand		0.00	
		Total	185539360.04	

BANK RECONCILATION STATEMENT AS ON 31.03.2023

BALANCE AS PER CASH BOOK AS ON 31.03.2023	Rs.	185462921.04
ADD INTEREST CREDITED BY HDFC BANK AS ON 31.03.2023 BUT NOT ENTERED IN CASH BOOK (which is entered in cash book on 01.04.2023)	Rs.	76439.00
BALANCE AS PER BANK PASSBOOK	RS.	185539360.04

Assistant Controller
State/Audit Department
H.P. Shimla -171009

19/03/2024

R.G.G.E.C. Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.) 176047

पारा/राग्र - 2 (पैरा स्तम्भ -05 के संदर्भ में)

OFFICE OF THE RAJIV GANDHI GOVT. ENGGINGEERING COLLEGE, NAGROTA BAGWAN

FD DETAIL AS ON 31.03.2023

Sr. No.	Bank Name	A/C No.	Date of Investment	Amount Invested	Rate of Interest	Period	Date of maturity	Maturity Amount	Remarks
1	SBI	36945354052	12/6/2022	**5385927**	5.10	1 year	13/06/2023	5665907	
2	PNB	21263031004444	20/12/2022	**3783880**	6.30	1 Year 11 Months	20/11/2024	4265735	
3	PNB	21263031003942	26/09/2022	**33492634**	6.25	1 year	26/09/2023	35635498	
4	PNB	212610PU00000881	19/10/2021	**10000000**	5.25	3 Year 01 Month	18/11/2024	10826963	FD break on 25/05/2023 with Interest
5	PNB	212110PU00000890	22/10/2021	**10000000**	5.25	3 Year 01 Month	21/11/2024	10800397	FD break on 09/05/2023 with Interest
6	HDFC	50300278546541	19/09/2022	**37215959**	6.05	12 Month 1 day	20/09/2023	39525673	
7	HDFC	50300278546907	19/09/2022	**24810641**	6.05	12 Month 1 day	20/09/2023	26350451	
8	HDFC	500300506335270	31/03/2022	**20475949**	4.20	12 Month 1 day	1/4/2023	21352034	
9	HDFC	50300312336656	14/02/2023	**15000000**	5.00	12 Month 1 day	15/02/2024	15766338	
			Total	**160164990**					

Assistant Controller
State/Audit Department
H.P. Shimla -171009

14/03/2024
Director-Cum-Principal
R.G.G.E.C, Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)-176047